

Registration no. ( 230130920218211R1037 ) Date ( 15.05.2023 ) Valid till ( 15-5-2026 )



बिना शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | PATNA  
शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना  
प्रमाण पत्र



गंगा में

-भवन / व्यतराजक / प्रबंधक

Gyan Niketan

Gyan Niketan , Vitthal Vihar Complex, Ranjan Path, Off West Balley Road, Gola Road

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसूचीकृति का प्रमाण पत्र ।

प्रमाणपत्र,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 21-08-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक 15-05-2023 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय Gyan Niketan, Gyan Niketan , Vitthal Vihar Complex, Ranjan Path, Off West Balley Road, Gola Road, Patna, 801503 को कक्षा 1 से 8 तक संघालन हेतु तीन वर्षों 15-05-2023 से 15-5-2026 अवधि के लिए औपबंधिक प्रसूचीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसूचीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रसूचीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं असाधकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संघालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कक्षा 3 में उद्भूत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की पूर्ति की जाएगी। पूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्कीमिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय को द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:-

- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बॉर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के प्राधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वाहन करेगा।

1/3

Scanned with OKEN Scanner

*(Signature)*  
13.06.23  
Principal

Gyan Niketan  
V. C., Patna-801503  
Aff No.-330010

*(Signature)*  
Administrator  
Gyan Niketan  
Patna

(viii) शिक्षक विधी स्तर पर (किमी) भी प्रकार की शिक्षण प्रतिनिधि में संलग्न नहीं होंगे।

9 विद्यालय के व सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का उपयोग होगा।

10 विद्यालय अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के आशोक में अतः सविधानों के मापदंडों का पालन किया जाएगा।

10 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के उपर्युक्त मानकों एवं मापदंडों को सरकार अथवा विद्यालय के अधिनियम के अंतर्गत सविधानों का पालन किया जाएगा।

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 26314 डिग्रीमीटर

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र - 26314 डिग्रीमीटर

(iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- PLAYGROUND, BASKET GROUND, KANADU CHICKI, FOOTBALL GROUND, CHERITY CLUB SMART CLASS, LANGUAGE LAB

(iv) वर्ष कक्षा की कुल संख्या - 161

(v) प्रधानाध्यापक-राज कार्यालय सह-भारत कक्षा :- 20

(vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग योग्यता :- Indian, Boys :- 55, Girls 40

(vii) पेशेवर की सुविधा :- 60

(viii) यथासंभव भोजन के लिये रसोई घर :- 0

(ix) बाधारहित पहुँच :-

(x) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/ पुस्तकालय :- BLACK BOARD, CHALK, DUSTER, MAP, CHART, COMPUTER SYSTEM, SMART CLASS, PROJECTOR, MODELS, 1. ATHLETICS: A. HURDLES(50 PICES) B. STARTERS(4 PICES) C. CLIPPERS(2 PICES) D. JAVELINS(8 PICES) E. DISCUS(6 PICES). F. STARING BLOCK(2 PICES) G. STOPWATCH(4 PICES) H. MEASURING TAPE(2 PICES) 2. CRICKET: A. BAT(36 PICES), (Y, 998, NewsPaper MagnaZine - 20)

11. कोई भी अपर्यवेक्षित वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय गोरगार्डटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पर्यवेक्षक दल के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के रात अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अकेलन एवं उसका प्राणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आशोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। पहले लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।


16. अथक विद्यालय को आवरित प्रसवीकृति कोड संख्या [ 23013932021821183037, 2021 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उपर्युक्त किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय-भंग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रसवीकृति की शर्तों के समतार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्देशक अथवा जिला अधीक्षक विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निर्देशन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुसूचक का रूप में संलग्न अन्य होंगे।

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

Scanned with OKEN Scanner

*Handwritten signature*  
13.06.23  
**Principal**  
**Gyan Niketan**  
V. V. C., Patna-801 003  
Aff. No.-330010

*Handwritten signature*  
**Administrator**  
**Gyan Niketan**  
**Patna**